न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 17/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. नारायणी पत्नि मांगीलाल
2. कैलाशी पत्नि कालु
3. दाखा पत्नि लल्लू

जाति मीना निवासी टोडरवास तहसील नांगल राजावतान

अप्रार्थीगण

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u> दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और न जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुए। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम टोडरवास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि संवत 2010 में गै0मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1/1 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1/4 रकबा 10 बिस्वा किस्मु गै0मु0 नदी बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 2 रकबा 0.50 है. एवं खसरा नम्बर 3 रकबा 0.62 है. किस्म खातली बना, जो उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 19.06.1989 के द्वारा राधेश्याम पुत्र प्रभातीलाल जाति लुहार निवासी माधोगढ तहसील बस्सी के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 3 दिनांक 26.09.1990 के द्वारा आवंटी राधेश्याम पुत्र प्रभातीलाल लुहार के नाम गैर खातदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 09.12.1999 के द्वारा आवंटी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त भूमि का जरिये विक्रय पत्र बेचान होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.08.2004 के द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी नारायणी पत्नि मांगीलाल हिस्सा 1/2 व कैलाशी पत्नि कालू व दाखा पत्नि लल्लू हिस्सा 1/2 जाति मीना के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:33:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम टोडरवास तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि संवत 2010 में गै0मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 1/1 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1/3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1/4 रकबा 10 बिस्वा किस्मु गै0मु0 नदी बने। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041–2060 की संक्रिया में उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 2 रकबा 0.50 है. एवं खसरा नम्बर 3 रकबा 0.62 है. किस्म खातली बना, जो उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 19.06.1989 के द्वारा राधेश्याम पुत्र प्रभातीलाल जाति लुहार निवासी माधोगढ तहसील बस्सी के नाम आवंटन किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 3 दिनांक 26.09.1990 के द्वारा आवंटी राधेश्याम पुत्र प्रभातीलाल लुहार के नाम गैर खातदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 26 दिनांक 09.12.1999 के द्वारा आवंटी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। उक्त भूमि का जरिये विक्रय पत्र बेचान होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 20.08.2004 के द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी नारायणी पत्नि मांगीलाल हिस्सा 1/2, कैलाशी पत्नि कालू व दाखा पत्नि लल्लू हिस्सा 1/2 जाति मीना के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हुई। अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:33:53 IST
Reason: SelfAttested